



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001

फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./ 2835

बिलासपुर, दिनांक 11-10-2021

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक

(भू-प्रबंध)

अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय :-

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for the Gare Pelma Sector -II Coal Block has been allotted to Maharashtra State Power Generation Company Limited (MAHAGENCO) Coal block is located in the Mand Raigarh coalfield of Raigarh district, Chhattisgarh area - 214.869 ha. - regarding.

संदर्भ :-

1. आपका पत्र क्र./ भू-प्रबंध विविध/एल.एम.-331-245/662 रायपुर, दिनांक 28.02.2018
2. वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ का पत्र क्र./1315 दिनांक 05.10.2021

—:00:—

विषयांतर्गत Maharashtra State Power Generation Company Limited (MAHAGENCO) द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत Gare Pelma Sector -II Coal Block हेतु कुल क्षेत्र 214.869 हे., वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अन्तर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव 44 बिन्दुओं की चेक लिस्ट अनुसार विधिवत अभिलेखों सहित वनमण्डलाधिकारी के द्वारा अनुशंसा सहित प्रस्तुत किया है, विवरण निम्नानुसार है -

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव			
क्र.	अभिलेख का विवरण	पृ.क्र.	विवरण
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र	01-16	फार्म A भाग -1 में संलग्न है ।
2	प्रपत्र । में प्रस्ताव का रजिस्ट्रेशन कोड (वृत्त कोड/वन मण्डल कोड/शाखा कोड/वर्ष/पंजीयन क्र.	17-32	पंजीयन क्र. FP/CG/MIN/20495/2016 Date 28.02.2018 Attached
3	वन क्षेत्र विवरण	33-38	संलग्न है ।
4	गैर वन क्षेत्र विवरण	39-40	संलग्न है ।
5	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल Printed टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर नक्शा ।	41-43	संलग्न है ।
6	वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप	44-62	संलग्न है ।
7	प्रपत्र -4 में प्रस्ताव	63-72	संलग्न है ।
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप	73-85	संलग्न है ।
9	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र ।	86-87	संलग्न है ।
10	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोग प्रमाण पत्र	88-89	संलग्न है ।
11	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र	90-96	संलग्न है ।
12	वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र 1ए एवं 1बी में)	97-101	संलग्न है ।
13	कास्ट / बेनिफिट एनालिसिस	102-115	संलग्न है ।

14	चयनित गैर वन क्षेत्र (वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु) का विवरण	116-643	संलग्न है।
15	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा	644-647	संलग्न है।
16	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर मय 10% वार्षिक वृद्धि के)	648-689	संलग्न है। (क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु निजी भूमि का चयन किया गया है, अतिक्रमण से बचाने हेतु प्रस्ताव स्वीकृति के उपरांत प्रस्तावित क्षतिपूर्ति क्षेत्र को चैनलिंग फेंसिंग से घेराव किया जावेगा।)
17	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र	690-695	संलग्न है।
18	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण	696-697	नहीं किया गया, प्रतिवेदन संलग्न है।
19	अधिनियम उल्लंघन के अधिकारियों का विवरण	698-699	प्रश्न ही नहीं उठता।
20	अधिकारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही	700-701	आवश्यकता नहीं है।
21	गैर वन भूमि अनुपलब्धता मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र	702-703	आवश्यकता नहीं है।
22	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान	704-772	संलग्न है।
23	रिकलेमेशन प्लान	773-825	संलग्न है।
24	माइनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल माइनिंग प्रकरण में)	826-1497	संलग्न है।
25	व्यवस्थापन प्लान	1498-1515	संलग्न है।
26	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र - I।। में)	1516-1526	संलग्न है।
27	ऐतिहासिक प्रमाण पत्र	1527-1528	संलग्न है।
28	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र	1529-1559	संलग्न है।
29	जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में	1560-1561	324301.500 हे.
30	व.स.अ. - 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे० में	1562-1572	3758.555 हे.
31	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी Category की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में।	1573-1575	2262.348 हे.
32	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी	1576-1577	संलग्न है।
33	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (केवल खनन प्रकरण में)	1578-1580	संलग्न है।
34	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र	1581-1600	संलग्न है।
35	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र	1601-1620	संलग्न है।
36	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र	1621-1623	संलग्न है।
37	Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance.	1624-1625	संलग्न है।

38	A detailed note on Soil Productivity or the lack of it	1626-1720	संलग्न है।
39	परियोजना के किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र	1721-1722	संलग्न है।
40	Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 - Stipulation of additional condition (The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute)	1723-1724	संबंधित नहीं है।

राज्य शासन से संबंधित अभिलेख

41	पंजीयन क्रमांक - पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क कर विवरण (प्रपत्र - 1 में)	1725-1730	संलग्न है।
42	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत	1731-1738	आवश्यकता नहीं है।
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण	1739	आवश्यकता नहीं है।
44	प्रस्ताव में अन्य (Misc.) कमियों का विवरण :-	-	

संलग्न :- प्रस्ताव 04 प्रतियों में।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

पृ. क्र./तक./ 2836
प्रतिलिपि :-

/2021/बिलासपुर, दिनांक 11.10.2021

1. वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
2. Executive Engineer (Addle) (Coal), महाराष्ट्रा स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमि. गारे पेलमा कोल माईंस सेक्टर-2 विद्युत भवन, कटोल रोड़ नागपुर 440013 को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर